



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | BHAGALPUR

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / अध्यक्ष/पदा / प्रधान

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0

शिक्षा केंद्र, 2 कम्प्यूटरी स्टोर 0

पत्रांक 55M/ETC/1158 दिनांक 20/05/22

विषय :- बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रावधानों के बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा निश्चयावली के नियम 11 के अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रगती की प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पर दिनांक 24-09-2021 और उसके क्रम में आपसे बिदे सवे परमाण्व एवं विद्यालय के बिदे सवे निदेशन के आलोक आपके विद्यालय ARYA MISSION GLOBAL SCHOOL ENGLISH MASARU MORE, SABOUR, BHAGALPUR, SABOUR, 813210 कक्षा 1 से 5 तक सामान्य हेतु तीन बच्चे 24-09-2021 से 24-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रगती की प्रमाण पत्र की जाती है।

प्रदान प्रगती प्रमाण पत्र की अनुपात के अधीन होगी।

1. प्रगती प्रमाण पत्र की परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचना-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा निश्चयावली 2011 (अनुसूचना-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 से बच्चों के सामान्य की मुक्त समता का 25 प्रतिशत बच्चों का सामान्य प्रदान 3 करेगा। प्रवेश के कमजोर बच्चे एवं अनामकगी बच्चों के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनकी पूर्णता तक प्रदान करेगा। परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कक्षा 3 में उच्च बच्चों के सामान्य से विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय सलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

5. सीमाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कंपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे उसके सलग-सलग या अभिभावक का इंडीविजुल टैक्स्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के सामान्य से उसके उस प्रमाण पत्र के अनुपातमान सामान्य की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारकों या इससे से किसी एक कारण के आधार पर इका नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

(i) किसी भी सामान्य बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी सामान्य बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विद्यार्थी / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करे।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का सामान्य करेगा।



(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 1.5 ACR

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 1.5 ACR

(iii) क्षेत्र के विभाग का क्षेत्र :- CLASS ROOM, LAB, LIBRARY, STORE ROOM, EXAM CELL, STAFF ROOM, TOILET URINAL, PLAY GROUND, ASSEMBLY HALL ETC

(iv) बने कक्षा की कुल संख्या :- 10

(v) छात्रावास, छात्र-सह कार्यालय सह अक्षर कक्षा :- 4

(vi) छात्रक तथा कानिकाओं के निर्देश अलग-अलग शौचालय :- Indian, Boys :- 10, Girls 5

(vii) खेलकूद की सुविधा :- 1

(viii) छात्रावास क्षेत्र के निर्देश इतने पर :- 6

(ix) आधारित सुविधा [] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-कूद उपकरण/सुविधाएं सुसज्जित :- MAP, BLACK BOARD, WHITE BOARD, DUSTER, CHALK MARKER, INSTRUMENTS BOX, OUT LINE CHART, PICTURE CHART ATLAS, SMART TV, PROJECTOR, LAPTOP ETC. HOCKY STICK BALL, VOLLEY BALL, BADMINTON CANAM LUDO, CHESS BAT ETC. (५ - 999, NewsPaper MagsZine :- 10)

11 कोई भी अपरवीकृत बर्तन विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के साथ ही स्थापित नहीं होगा।

12 विद्यालय सदन अथवा अन्य सार्वजनिक अथवा सैलन का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्दिष्ट सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में जगह कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के अधीन ही स्थापित होगा।

14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के तहत अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए स्थापित नहीं होगा।

15 सेवा का प्रबंधन एवं इसका प्रशासनिक कार्य एकाग्रित के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आदेश में उपलब्ध सेवा विभागों तथा की जाएगी। इनके सेवा विभागों की एक प्रति परिवर्तित विभागाधीन अधीन का भेजी जाएगी।

16 आपके विद्यालय की आईटीन प्रमाणीकृत कोड संख्या [22413352021924124550, 2021] है। इस कायान्वयन में किसी प्रकार का प्रकाश करने में इस कोड को अविना एवं उद्घृत किया जाए।

17 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जिला शिक्षा प्रशासिकारी के द्वारा समय समय पर जांच किए गए प्रतिवेदन एवं सुझावों, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के द्वारा प्रमाणीकृत की शर्तों के अनुसार एवं ही पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय सार्वजनिक में संबंधित कठिनाईओं को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18 यदि सार्वजनिक के निषेधन के तरीकाल की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19 अनुसूचीक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्व सुभाष
FO 12/1/21

जिला कार्यक्रम प्रशासिकारी, BHAGALPUR
सह-नियंत्रण प्रमाणीकृत समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार